बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक– पि०व०/बजट–30–02/2015 (खण्ड–II)– 125.

प्रेषक,

ऋषि कुमार,,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण।

पटना, दिनांक–22/10/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत विभागान्तर्गत नवनिर्मित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, बिजुलपुर, प्रखण्ड–तुरकौलिया, पूर्वी चम्पारण में बिजली मीटर कनेक्शन हेतु विद्युत प्रभार मद में कुल राशि रू० 7,62,256/– (रू० सात लाख बासठ हजार दो सौ छप्पन) मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक–171, दिनांक–25.09.2026 के आलोक में विभागान्तर्गत नवनिर्मित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, बिजुलपुर, प्रखण्ड–तुरकौलिया, पूर्वी चम्पारण में बिजली मीटर कनेक्शन हेतु विद्युत प्रभार मद में कुल राशि रू० 7,62,256/– (रू० सात लाख बासठ हजार दो सौ छप्पन) मात्र आवंटन इस शर्त के साथ किया जाता है कि उक्त विद्यालय निर्माण के प्राक्कलन में उक्त कार्य के सम्मिलित नहीं होने के संबंध में समीक्षा/जाँच करते हुए सत्यापित जाँच प्रतिवेदन के साथ राशि की निकासी किया जायेगा।

2–कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03– पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277–शिक्षा, उप शीर्ष 0010–पिछड़ी जातियों के लिए 12 (बारह) कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण, विषय शीर्ष 13.04 विद्युत प्रभार इकाई में विपत्र कोड संख्या– 11–2225–03–277–0010 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3–इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण होंगे।

4–आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि के व्यय होने के तत्काल बाद विभाग को भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

5–प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6–प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

21/10/2026

(ऋषि कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

P.T.O.

ज्ञापांक— पि०व०/बजट—30—02/2015 (खण्ड—II)— 125, पटना, दिनांक— 22/10/2026

प्रतिलिपि—(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/ उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण/प्रमण्डलीय उपनिदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/अनुमण्डल, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/प्रधानाचार्य, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 उच्च विद्यालय, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) विभागीय बजट शाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को CFMS 2.0 प्रणाली के अन्तर्गत प्रविष्टि करने हेतु सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/10/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।